### दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी § मंगलवार, २ अगस्त, १९९४ / १। श्रावण, १९१६ शक

संख्या 106.

# सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

पुलित उपायुक्त, उत्तरी जिला, दिल्ली का माननीय अध्यक्ष पहोदय, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक २६. ७. १५ का निम्नतिथित पत्र दिनांक २७. ७. १५ को प्राप्त हुआ:

" मुझे आपको ससम्पान सूचित करना है कि मैने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देना अपना कर्तिच्य समझा है कि श्री शोएब इकबाल, विधायक को अपने समर्थकों सहित सड़क यातायात को अवरुद्ध करने से बाज़ आने और यातायात के निर्बाध आवागमन में बाधा न डालने के मामलें में तहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन/एस एच ओ. सिविल लाइन के तर्कसंगत निदेशों की अवज्ञा करने के कारण मैटकाप्र हाउस के सामने से हटा दिया जाये। तद्नुसार दिल्ली विधान संभा के उक्त सदस्य को विश्नोई धर्मशाला के निकट मैटकाफ़ हाउस, सिविल लाइन दिल्ली से दिनांक २६.७.१५ अपराह्न १.४५ बजे हटाकर आई. पी. कालेज के निकट सड़क पर केवल 50 मिनट के लिए नज़रबन्द किया गया तथा उन्हें उनके समर्थकों सहित यातायात में किसी प्रकार की पुनः बाधा न डानने और शन्ति-पूर्वक तितर-बितर हो जाने के लिये तहमत होने पर उसी दिन अपराहेन 2.35 बजे रिहा कर दिया गया ।"

## संख्या 107.

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलित उपायुक्त,उत्तरी जिला, दिल्ली का 29.7.94 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 1.8.94 को प्रा<sup>प्</sup>त किया गया:

" मुझे आप को तसम्मान यह तूचित करना है कि भी जय भगवान, विधायक, १बादलो निर्वाचन भेत्र१ को जब उन्होंने अपने कई समर्थकों सहित डी. डी. ए. द्वारा चलाए जा रहे भवन दहाने के कार्यक्रम को रोकने की को प्रिष्ना की और श्री संजय सिंह, सहायक पुलिस उपायुक्त, रोहिणी, दिल्ली द्वारा दिये गए तर्कसंगत निदेशों को मानने में विपल रहे, तो उन्हें उनके समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत 28. 7. 94 को अपराह्न 4. 30 बजे विध्वंस स्थल हैदरपूर, शालीमार बाग, दिल्ली से नज़रबन्द कर लिया गया । उन्हें 5 घंटों के बाद रात 9.30 बजे रिहा कर दिया गया । संख्या 108.

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित एस एव ओ. ,संसद मार्ग,

का 1.8.94 को निम्नलिखित पत्र 1.8.94 को प्राप्त किया गया :

" श्री शोएव इकबाल, विधायक को उनके सपर्थकों सहित संसद मार्ग के सामने गैट समझौता का विरोध करने के मामले में 1.8.94 को अपराह्न 1.55. बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अधीन नज़रबन्द किया गया । श्री शारेण्व : इकबाल को उसी दिन अपराह्न २.४० बजे रिहा कर दिया गया ।"

### I red again wat or the comment

#### BILLETTI DART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, August 2, 1994/Shravan 11,1916 (Saka)

No.106

#### DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 26.7.94 addressed to the Mon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi was received on 27.7.94:-

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers u/s 65 of Delhi Police Act, 1978, to direct that Sh. Sohaib Iqbal, MLA be removed from Matcaf House near Bisnoi Dharmshala for not obeying the reasonable direction of the Asstt. Commissioner of Police, Civil Lines/SHO/Civil Lines, Delhi, to desist from blocking the road and to refrain from stopping the natural flow of traffic alongwith his followers.

The above member of Vidhan Sabha was accordingly removed from Matcaf House Road near bisnoi Dharmshala Civil Lines, Delhi at 13.45 hrs., on 26.7.94 detained at Road side near I.P. College for only 50 minutes and released on the say day at 14.35 hrs. after he and his followers agreed not to cause any further obstruction to traffic and to disperse peacefully."

N . 107

The following communication dated 29.7.94 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi was received on 1.8.94:-

"I have the honour to inform that Sh. Jai Bhagwan, MLA (Badli Constituency) was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 on 28.7.94 at 1630 hrs from the demolition site at Haiderpur Road, Shalimar Bagh, Delhi when he alongwith a number of peoples had tried to stop the demolition programme being carried out by DDA and failed to comply with the reasonable directions given by Sh. Sanjay Singh, Asstt. Commissioner of Police, Rohini, Delhi. He was set free after 5 hrs at 2130 hrs,"

No.108

The following communication dated 1.8.94 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the SHO, Parliament Street, New Delhi was received on 1.8.94:-

"Shri Shoib Iqbal, MLA alongwith his other supporters was detained under section 65 of the Delhi Police Act, 1978 at 1355 hrs on 1.8.94 in protest to GATT AGREEMENT in front of Parliament Street. Shri Iqbal was released at 1440 hrs, the same day."